न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –79/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/114

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रेमाराम उर्फ पेमाराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी गोगानाडा, तहसील व जिला नागौर, राज.		1. मोहनराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी गोगानाडा तहसील व जिला नागौर। 2. तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक :** 30/01/2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके मौजा गोगानाडा का म्यूटेशन संख्या 933 जो तहसीलदार (भू.अ.) नागौर द्वारा दिनांक 10.08.2021 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रकरण अपीलान्ट की और से प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का आवेदन आदेशिका दिनांक 21.09.2022 अनुसार स्वीकार किया गया है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सगे भाई है तथा इनके पूर्वजो के वक्त से खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा मौजा गोगानाडा में रहता चला आ रहा है। इस खेत की खातेदारी अकेले मोहनराम रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज हो रखी थी, इसलिए अपीलार्थी ने एक दावा संख्या 95/2014 सहायक कलक्टर एवं एसडीओ कोर्ट नागौर में पेश किया, जो दिनांक 13.06.2017 को स्वीकार होकर डिक्री किया गया। उक्त डिकी में अपीलार्थी (वादी) के खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा मौजा गोगानाडा का उतरी तरफ का आधा भाग बंट व खातेदारी का घोषित किया गया। इस डिक्री व निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार नागौर को दिनांक 07.03.2018 को भेजी गई। उक्त आदेश की छाया प्रति पटवारी हल्का को दिनांक 21.03.2018 को भेजकर पालना हेतु तहसीलदार नागौर ने आदेश दिया। डिक्री की पालना होने में विलम्ब हुआ, इसी बीच रेस्पोडेन्ट मोहनराम ने 05 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत सींगड के पक्ष में दान कर दी एवं उक्त दान का म्यूटेशन भरा जाने से खसरा नम्बर 1151/503 की रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा से घटकर 49 बीघा 10 बिस्वा रिकार्ड में दर्ज रह गया। इस वजह से पालना करने में अडचन पैदा हो गई। यह तथ्य बखूबी साबित व सक्षम न्यायालय से निर्णीत हो रखा है कि खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा मौजा गोगानाडा का आधा भाग उतरी तरफ का अपीलार्थी प्रेमाराम पुत्र बुधाराम के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का है। इसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या अन्य का कोई हक अधिकार नही है। इसके बाद राजस्व रिकार्ड में नाम मोहनराम रेस्पोडेन्ट का लगातार दर्ज रहा था, जिसका लाभ उठाकर के दिनांक 25.05.2021 को मोहनराम रेस्पोडेन्ट

कलक्टर नागौर

ने खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा मौजा गोगानाडा में से 0.2482 हैक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 25.05.2021 को समर्पण पत्र लिखकर पेश कर दिया एवं उक्त समर्पण पत्र के जरिये मोहनराम ने खसरा नम्बर 1151/503 के उतरी सीमा के पास–पास समर्पण किया है। उक्त समर्पण अपीलार्थी के बंटसुदा खातेदारी की घोषित सुदाभूमि का कर दे दिया एवं उसके आधार पर म्यूटेशन नम्बर 933 दिनांक 03.08.2021 पटवारी हल्का ने भरा एवं तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 10.08.2021 को स्वीकार किया गया। उक्त म्यूटेशन की नाराजगी में यह अपील पेश की गई हैं।

म्यूटेशन जेर अपील तथ्यो व कानून के विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 1151/503 रकबा पहले 49 बीघा 15 बिस्वा था, जिसमे से 05 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दान कर दी, जिसके बाद रकबा 49 बीघा 10 बिस्वा बचा, जो 8.0128 हैक्टेयर दर्ज है। अपीलांट के द्वारा बंटवाडा का दावा संख्या 95/2014 निर्णय दिनांक 13.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा निर्णीत होने के बाद उक्त निर्णय में खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा का आधा भाग उतरी तरफ का (वादी) अपीलांट प्रेमाराम के बंट खातेदारी का घोषित करने से उतरी तरफ का आधा भाग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनराम का कोई हक अधिकार नहीं रह गया। परन्तु रेस्पोडेन्ट मोहनराम द्वारा जानबूझकर बिना हक अधिकार के अपीलांट की खातेदारी की भूमि का समर्पण पत्र लिखकर तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया, उक्त समर्पण पत्र के आधार पर म्यूटेशन जेर अपील भरकर पारित किया हैं, वह विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बीच खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा का बंटवाडा का निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर न्यायालय द्वारा किया गया, एवं इस खेत का 1/2 भाग उतरी तरफ का अपीलांट के खातेदारी व बंट का घोषित करने का निर्णय व डिक्री पर्चा तहसीलदार नागौर को पालना हेतु भेजा गया तथा उक्त आदेश की छाया प्रति पटवारी हल्का को भी भेजी गई थी तथा बंटवाडा का दावा मेंतहसीलदार स्वयं जिसने म्यूटेशन की अपील पारित किया पक्षकार था,कोऐसी दशा में निर्णय व डिकी की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या विधिवत रही थी, फिर भी जानबूझकर डिक्री व निर्णय के विरूद्ध म्यूटेशन जेर अपील पारित किया गया होने से अपास्त होने योग्य है।

खसरा नम्बर 1151/503 रकबा 49 बीघा 15 बिस्वा था, जिसमे से 05 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत सींगड को दान कर देने से 49 बीघा 10 बिस्वा जो 8.0128 हैक्टेयर दर्ज हैं, में से 0.2482 हैक्टेयर समर्पण का विधि विरूद्ध ढंग से म्यूटेशन भरकर मूल खसरा नम्बर 1151/503 को ही बदलकर खसरा नम्बर 1317/1151 बना डाला। ऐसा खसरा नम्बर का बिना आधार के बदल देना पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है।

म्यूटेशन जेर अपील विधि विरूद्ध बिना हक अधिकार के किये गये समर्पण पत्र के आधार पर भरा गया हैं तथा अपीलार्थी को उसके वाजिब हको से वंचित करने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि का समर्पण पत्र लिखा हैं, जो अवैध व शुन्य है। ऐसे अवैध व शुन्य समर्पण पत्र के आधार पर म्यूटेशन जेर अपील भरा गया हैं, जो विधि विरूद्ध होने का कथन करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर म्यूटेशन जेर अपील निरस्त करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री डूंगरराम चौधरी ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि मूल खेत खसरा नं.1157/503 रकबा 49.15 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का स्वअर्जित खेत रहता चला आया है जो खतौनी से साबित है। रेस्पोडेन्ट का उक्त खेत हड़प करने की नियत से अपीलांट ने फर्जी तरीके से निर्णय व डिकी शिविर में प्राप्त कर ली, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं थी। हस्तगत अपील का न्यायालय हाजा का तारीख पेशी का नोटिस मिलने पर अपील के आधार पर नकल प्राप्त करने पर फर्जीवाड़ा से निर्णय व डिकी की जानकारी हुई जिसकी

कलक्टर नागौर

अपील रेस्पोडेन्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष कर दी जो विचाराधीन है।

रेस्पोडेन्ट के उपरोक्त खेत के उतरी माठ के सहारे–सहारे पश्चिम में आगे से आगे कई काश्तकारो के खेतों में जाने वाला कदीमी रास्ता चल रहा है तथा भविष्य में रास्ता संबंधी कोई विवाद अथवा समस्या पैदा नहीं हो इसलिए रास्ता की समस्या मिटाने के लिए पश्चिम के कई खातेदारों व राजस्व अधिकारियो की प्रेरणा से व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने भी प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पश्चिमी तरफ के खातेदारों द्वारा रास्ता के लिए अपनी अपनी भूमियां समर्पित कर दी तो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने भी सद्भावनापूर्वक उपरोक्त अपने खातेदारी के खेत में से रास्ता के प्रयोजन के लिए तहसीलदार नागौर के न्यायालय में राजस्थान सरकार के हक में खसरा नं. 1151/503 में से 0.2482 हैक्टेयर समर्पण पत्र के जरिये समर्पण किया, जो समर्पण स्वीकृति का आदेश तहसीलदार जी नागौर ने दिनांक 28.5.2021 को स्वीकार किया। इस स्वीकृति आदेश/निर्णय की पालना में उपरोक्त अपीलाधीन म्यूटैशन संख्या 933 दिनांक 10.8.2021 भरा जाकर तस्दीक किया गया है तथा निर्णय/आदेश की पालना में तस्दीक किये गये म्यूटेशन की अपील चलने लायक नहीं होने से निरस्त किये जाने लायक है।

न्यायालय तहसीलदार नागौर के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 28.5.2021 के आदेश/निर्णय की अपील अपीलांट ने नहीं की है जिससे तहसीलदार का आदेश/निर्णय दिनांक 28.5.2021 अंतिम हो गया है। जब तक तहसीलदार, नागौर का आदेश/निर्णय दिनांक 28.5.2021 निरस्त नहीं हो जाता है तब तक आदेश/निर्णय से भरा जाकर तस्दीक किये गये म्यूटेशन की अपील कानूनन नहीं लाई जा सकती है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है। वकील श्री डूंगरराम चौधरी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.1992 पेज 356, आर.आर.डी. 14.2. 2009 पेज 123 न्यायिक दृष्टांन्त प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट मोहनराम द्वारा दिनांक 28.05.2021 को तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र एवं सौ रूपये स्टाम्प समर्पण पत्र मय नक्शा आदि प्रस्तुत कर ग्राम गोगानाडा के खसरा नम्बर 1151/503 में से 0.2482 हैक्टयर भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पण करने के निवेदन पर तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त समर्पण आवेदन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात उक्त समर्पणनामा के आधार पर म्यूटैशन संख्या 933 दिनांक 10.08.2021 स्वीकृत किया गया है। उक्त म्यूटेशन जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट मोहनराम द्वारा जानबूझकर बिना हक अधिकार के अपीलांट की खातेदारी की भूमि का समर्पण पत्र लिखकर तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया, उक्त समर्पण पत्र के आधार पर म्यूटेशन जेर अपील भरकर पारित किया हैं, वह विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन दिनांक 10.08.2021 के विरूद्ध हस्तगत म्यूटेशन अपील प्रस्तुत की है और तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट मोहनराम के समपर्णनामा के आधार पर स्वीकृत किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत एवं सही है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनराम का समर्पण आवेदन जो तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकार किया गया है, उस आदेश को अपीलान्ट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है, इसलिए में तहसीलदार नागौर द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनराम का समर्पण आवेदन स्वीकार किये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह वर्तमान में भी अस्तित्व में होकर प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित म्यूटेशन जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार हस्तगत प्रकरण के रेस्पोडेन्ट मोहनराम द्वारा दिनांक 28.05.2021 को तहसीलदार नागौर के समक्ष आवेदन पत्र एवं सौ रूपये स्टाम्प समर्पण पत्र मय नक्शा आदि प्रस्तुत कर ग्राम गोगानाडा के खसरा नम्बर 1151/503 में से 0.2482 हैक्टयर भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पण करने के निवेदन पर तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त समर्पण आवेदन स्वीकार किया गया।

तहसीलदार नागौर

तत्पश्चात उक्त समर्पणनामा के आधार पर म्यूटेशन जैर अपील संख्या 933 दिनांक 10.08.2021 स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश म्यूटेशन जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट मोहनराम द्वारा जानबूझकर बिना हक अधिकार के अपीलांट की खातेदारी की भूमि का समर्पण पत्र लिखकर तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया, उक्त समर्पण पत्र के आधार पर म्यूटेशन जेर अपील भरकर पारित किया हैं, वह विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन जैर अपील आदेश दिनांक 10.08.2021 के विरूद्ध यह म्यूटेशन अपील प्रस्तुत की है और तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट मोहनराम के समपर्णनामा के आधार पर स्वीकृत किया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित म्यूटेशन जैर अपील आदेश विधि सम्मत एवं सही है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनराम का समर्पण आवेदन जो तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकार किया गया है, तहसीलदार नागौर के उस आदेश को अपीलान्ट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति दी जाकर अपास्त/निरस्त करवा लिया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए तहसीलदार नागौर द्वारा रेस्पोडेन्ट मोहनराम का समर्पण आवेदन स्वीकार किये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह वर्तमान में भी अस्तित्व में होकर प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित म्यूटेशन जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं होने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत किये गये आदेश म्यूटेशन जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल म्यूटेशन लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर